

तारक सिंह व अन्य

बनाम

ज्योति बसु और अन्य।

19 नवंबर 2004

[एस.एन. वरियावा और एच.के. सेमा, न्यायाधिपतिगण]

सरकारी भूमि का आवंटन -मुख्यमंत्री के विवेकाधीन कोटे से-एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनके आवेदन पर जब भूमि के संबंध में मामला उनके समक्ष विचाराधीन था-मामला पूरी तरह से न्यायाधीश के पास चल रहा था उनकी सेवानिवृत्ति तक आंशिक सुनवाई की गयी -आवंटन की वैधता -निर्धारित किया आवंटन रद्द किये जानें योग्य है-न्यायाधीश ने अपने व्यक्तिगत हितों को की प्राप्ति हेतु अपने न्यायिक कार्य का दुरुपयोग किया -उनके निजी हित सार्वजनिक हित के विरुद्ध आड़े आये -उन्होंने व्यक्तियों द्वारा उनके प्रति जताए गए विश्वास को धोखा दिया -ईमानदारी न्यायिक अनुशासन की पहचान है -न्यायिक अनुशासन

रिट याचिका जनहित याचिका के रूप में मुख्यमंत्री के विवेकाधीन कोटे से साल्ट लेक सिटी, कलकत्ता में सरकारी भूमि के आवंटन को चुनौती देते हुए और आवंटन को रद्द करने की प्रार्थना करते हुए दायर की गई थी। मूल याचिका में, भूमि के आवंटियों को पक्षकार /प्रत्यथी नहीं बनाया गया था। प्रकरण में आवंटियों-प्रत्यर्थियों द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 24 कलकत्ता उच्च

न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को पक्षकार बनाने के लिए आवेदन में, पक्षकार बनाने की अनुमति दी गई थी और अन्य आवंटियों के संबंध में आवेदन खारिज कर दिया गया था।

प्रत्यर्थी न्यायाधीश के विरुद्ध आरोप यह था कि जब वह कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश थे। एक मामला सी.ओ. क्रमांक 7553 (डब्ल्यू) 1986, साल्ट लेक सिटी में मास्टरप्लान से संबंधित दिनांक 20.6.1986 को उनके समक्ष सूचीबद्ध हुआ था। उसी दिन उन्होंने साल्ट लेक सिटी में एक भूखंड आवंटन के लिए मुख्यमंत्री के समक्ष आवेदन किया। दिनांक 8.6.1987 के एक आदेश द्वारा, उन्होंने साल्ट लेक सिटी में किसी भी भूमि के अग्रिम आवंटन पर रोक लगा दी और दिनांक 11.6.1987 के पश्चातवर्ती आदेश द्वारा मुख्यमंत्री को स्वयं के कोटे से क्षेत्र में भूखंड का आवंटन करने की अनुमति दे दी। आदेश दिनांक 11.6.1987 द्वारा मामले को 16.7.1987 को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया था किन्तु उक्त तारीख को मामले में कोई सुनवाई नहीं हुयी। प्रत्यर्थी-न्यायाधीश ने उसी दिन मुख्यमंत्री के समक्ष दूसरा आवेदन प्रस्तुत किया। परिणामस्वरूप दिनांक 24.7.1987 को मुख्यमंत्री द्वारा उनके पक्ष में आवंटन आदेश पारित किया। जिसका औपचारिक आवंटन 16.10.1987 को किया गया।

प्रत्यर्थी संख्या 24 ने, इस न्यायालय में पक्षकार बनने हेतु दो शपथपत्र प्रस्तुत किये। अपने प्रथम शपथपत्र में उन्होंने अपने प्रार्थना पत्रदिनांक 16.7.1987 के बारे में उल्लेख नहीं किया, जबकि पश्चातवर्ती के पूरक शपथपत्र में उक्त लोप को सद्भाविक बताया। इस न्यायालय के आदेशानुसार, उच्च न्यायालय ने मामले से संबंधित वाद सूची प्रस्तुत की, जिससे पता चला कि मामला प्रत्यर्थी-न्यायाधीश के समक्ष 16.7.1987 के पश्चात् 14 अवसरों पर और जैसा कि सूचना प्राप्त हुयी है, उपरोक्त सभी तिथियों पर प्रकरण सूचीबद्ध किया गया था और उनकी सेवानिवृत्ति तक मामले की आंशिक सुनवाई ही की गयी।

प्रत्यर्थी-न्यायाधीश का तर्क यह था कि दिनांक 8.6.1987 और 11.6.1987 के आदेशों तथा 16.10.1987 को किए गए आवंटन के मध्य कोई संबंध नहीं था, और यह केवल एक संयोग मात्र था कि उन्होंने इस मामले को कभी भी अनसुना नहीं किया; उनके समक्ष मामला भूमि आवंटन से संबंधित नहीं था, बल्कि मास्टर प्लान के उल्लंघन से संबंधित था; और उसकी कार्यवाही से यह दर्शित कि मामला 17.6.1987 को सुनवाई के लिए नियत किया गया था और उस तारीख को इसकी आंशिक सुनवाई नहीं की गई थी।

न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 24 के खिलाफ याचिका को स्वीकार करते हुए अन्य प्रत्यर्थियों की प्रार्थना को खारिज कर दिया।

निर्धारित किया

1.1. प्रत्यर्थी-न्यायाधीश ने अपने व्यक्तिगत उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपने दिव्य न्यायिक कर्तव्य का दुरुपयोग किया है। उन्होंने व्यक्तियों द्वारा उन पर किये गए भरोसे को धोखा दिया है। यदि प्रत्यर्थी-न्यायाधीश को किसी अन्य नागरिक की तरह सहज रूप से मुख्यमंत्री कोटे से आवंटन मिलता, तब मामला अलग हो सकता था[188-सी]

1.2. दिनांक 8.6.1987 और 11.6.1987 के आदेश और प्रत्यर्थी-न्यायाधीश के पक्ष में आवंटन को संयोग नहीं माना जा सकता। न्यायिक आदेश पारित करने और आवंटन आदेश देने के बीच निस्संदेह ही एक गलत संबंध है। यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रकरण सीओ नंबर 7553 (डब्ल्यू) 1986 जो दिनांक 20.6.1986 को प्रत्यर्थी संख्या 24 के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हुआ, सरकार/मुख्यमंत्री के विवेकाधीन कोटे के तहत भूमि आवंटन से संबंधित नहीं था। यह दलील दी गई कि उच्च न्यायालय द्वारा दिये गए किसी भी आदेश/कार्यवाही से ऐसा दर्शित नहीं है कि मामला 17.6.1987 को सुनवाई के लिए रखा गया था और दिनांक 17.6.1987 के आदेश का मैं मामले को आंशिक सुनवाई हेतु कोई निर्देश नहीं दर्शित होता है। उच्च न्यायालय द्वारा भेजी गई वाद सूची अभिलेखों के विपरीत है।

वाद सूची से पता चलता है कि 20.7.1987 से 27.8.1987 तक, इसकी आंशिक सुनवाई की गई और मामले की फाइल प्रत्यर्थी-न्यायाधीश के पास उनके सेवानिवृत्त होने तक लंबित रही। [185-सी; 186-जी, एफ, एच, सी, डी]

2.1. न्यायिक अनुशासन-एक स्वयं अनुशासन है, जो स्वयं जिम्मेदारी है. न्यायिक अनुशासन व्यवस्था में ही अंतर्निहित तंत्र है। न्यायाधीशों के पद और उनके पास निहित अपार शक्तियों के कारण, कोई अन्य प्राधिकारी उन पर अनुशासन नहीं थोप सकता। सभी न्यायाधीश, उच्च आत्म अनुशासन का प्रयोग करते हैं। एक न्यायाधीश के चरित्र का परीक्षण उसके पास निहित शक्ति द्वारा किया जाता है। किसी भी अन्य प्रणाली की तरह न्याय वितरण प्रणाली भी सत्यनिष्ठा के अभाव में जीवन का हर क्षेत्र विफल हो जाएगी और लड़खड़ा जाएगी।[187-सी, डी]

2.2. राज्य के किसी भी अन्य अंग की तरह, न्यायपालिका भी मनुष्यों द्वारा संचालित होती है -लेकिन न्यायपालिका का कार्य राज्य के अन्य अंगों से स्पष्ट रूप से भिन्न है -इस अर्थ में इसका कार्य दैवीय है। आज न्यायपालिका पर जनता के विश्वास है। यह लोगों की विश्वासपात्र है क्योंकि उसकी मौजूद शक्ति के कारण, एक न्यायाधीश का बतौर न्यायाधीश दूसरों की तुलना में अधिक सख्त है। ईमानदारी न्यायिक अनुशासन की पहचान है। अब यह समय है कि न्यायपालिका को यह सुनिश्चित करने के

लिए अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए कि न्याय का मंदिर अंदर से दरकने न पाए, अन्यथा न्याय वितरण प्रणाली में तबाही मच जाएगी, जिसके परिणामस्वरूप न्याय वितरण प्रणाली में जनता का विश्वास विफल हो जाएगा। [187-ई, एफ]

3. प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों के तहत, प्रत्यर्थी-न्यायाधीश का आचरण क्षमा योग्य नहीं है। यह एक ऐसा मामला है जहां निजी हित को सार्वजनिक हित के विरुद्ध है। ऐसे मामलों में पश्चातवर्ती हित पहले वाले पर प्रभावी होना चाहिए था। परिणामस्वरूप, मुख्यमंत्री द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.7.1987 और प्रत्यर्थी-न्यायाधीश के पक्ष में साल्ट लेक सिटी में भूखंड आवंटित करने का औपचारिक आवंटन आदेश दिनांक 16.10.1987 को निरस्त किया जाता है। भूखंड सरकार के पास ही रहेगा। [188-डी, ई]

न्यायालय ने सरकार को प्रत्यर्थी-न्यायाधीश को तत्समय प्रचलित दर जो सरकारी मूल्यांकनकर्ता द्वारा मूल्यांकित की जाए पर भवन निर्माण की लागत देने के बाद भवन का कब्जे में लेने बाबत निर्देश दिया। यदि प्रत्यर्थी-न्यायाधीश इमारत का बाजार मूल्य प्राप्त करना चाहता है, तो सरकार ने उक्त इमारत को सार्वजनिक नीलामी के लिए रखने का निर्देशि करें। [189-सी, ई]

सिविल अपीलिय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 6707/1999

कलकत्ता उच्च न्यायालय रांची के निर्णय और आदेश दिनांक 5.2.99 डब्ल्यू.पी. 17306 (डब्ल्यू) 1997। साथ डब्ल्यू.पी. (सी) 1999 का क्रमांक 216।

के.के. वेणुगोपाल, टी.आर. अंध्यारुजिना, कैलाश वासदेव, ए.के. गांगुली, सुश्री. कामिनी जयसवाल, अमलेश राय, श्रीमती सरला चंद्रा, विशाल गुप्ता, नरेंद्र वर्मा, रोहित सिंह, सजाई पाठक, कुमारी इंकली बरूआ, प्रशांत भूषण, हर्ष कुमार पुरी, उज्ज्वल बनर्जी, एस.के. पुरी, शिव गुप्ता, तारा चंद्र शर्मा, राजीव शर्मा, कु. नीलम शर्मा, अजय शर्मा, तरूण शर्मा, कुमारी ए. सुभशिनी, प्रतीक कुमार, श्रीमती वी.डी. खन्ना, उमा दत्ता, मलय सिंह, प्रणब कुमार और एल.सी. अग्रवाल उपस्थित पक्षकारों की ओर से।

न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति सेमा जे ने सुनाया ।

प्रस्तावना

1. मेरे पुत्र, मेरी विधि को मत भूलना, परन्तु अपने हृदय में आज्ञाओं को रखना । न्याय और सच्चाई तुझे न त्यागे; तू उन्हें अपने गले में बान्धना, और अपने हृदय की पटल पर लिख लेना।

2. रिट याचिका संख्या 216/1999 एक लोक हित रखने वाले व्यक्ति द्वारा जनहित याचिका (पीआईएल) के रूप में दायर की गई है, जिसमें मुख्यमंत्री के विवेकाधीन कोटे से साल्ट लेक सिटी, कलकत्ता में सरकारी भूमि के आवंटन को चुनौती दी गई है। यह रिट याचिका परमादेश प्रकृति

में विशेष रूप से सरकारी भूमि के आवंटन को रद्द करने के लिए दायर की गई थी, जिसे संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हुए असंवैधानिक, अवैध रूप से, मनमाने ढंग से, गलत इरादे से और गुप्त तरीके से और/या शक्ति के रंगीन और अहंकारवश किया गया था।

3. मूल याचिका में, भूमि के आवंटियों को पक्षकार प्रत्यर्थी के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया था। प्रार्थना पत्र क्रमांक 2 प्रत्यर्थी संख्या 8 से 38 को पक्षकार बनाने के लिए दायर किया गया था, हालाँकि, हमारे आदेश दिनांक 13.11.2003 द्वारा, हमने केवल प्रतिवादी संख्या 24 न्यायमूर्ति बी.पी. बनर्जी को पक्षकार प्रत्यर्थी के रूप में शामिल करने की अनुमति दी थी।

आदेश में लिखा है विद्वान वरिष्ठ वकील श्री ए.के. गांगुली, ने अपनी दलील सुबह 10.35 बजे शुरू कीं और प्रातः 11.15 बजे समाप्त की। रिट याचिका में न्यायमूर्ति बी.पी. बनर्जी (सेवानिवृत्त) को पक्षकार प्रत्यर्थी बनने हेतु अनुमति दी। उत्तर, यदि कोई हो, सेवा की तारीख से छह सप्ताह के भीतर दाखिल किया जाना चाहिए। आवेदन नंबर 2 को बिना किसी अतिरिक्त या अन्य आदेश के निस्तारित किया जाता है।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 1986 के सीओ नंबर 7553 (डब्ल्यू) बाउनवान विधाननगर (साल्ट लेक) वेलफेयर एसोसिएशन और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य में इस न्यायालय के और सभी ऑर्डर शीट सहित



अन्य दस्तावेज और कार्यवाही को प्रेषित किया। उच्च न्यायालय को यह भी सूचना देनी होगी कि क्या 1984 के सीओ नंबर 15381 का निस्तारण किया गया है और यदि नहीं तो यह किस स्तर पर लंबित है। सरकार को न्यायमूर्ति बी.पी.बनर्जी (सेवानिवृत्त) को भूखंड के आवंटन से संबंधित सभी संबंधित फाइलें पेश करनी होंगी। और शपथपत्र पर बताएं कि क्या न्यायाधीशों को भूखंडों के आवंटन के संबंध में कोई नीतिगत निर्णय है, यदि हां, तो उस नीतिगत निर्णय को प्रस्तुत करें।

इन मामलों को आठ सप्ताह के बाद सूचीबद्ध करें

4. उपरोक्त आदेश के अनुपालना में, प्रत्यर्थी नंबर 24 ने दो जवाबी शपथपत्र प्रस्तुत किए-पहला शपथपत्र दिनांक 16 जनवरी, 2004 को और पूरक शपथपत्र 16 अप्रैल, 2004 को, जिस पर हम उचित समय पर विचार करेंगे।

5. प्रस्तुत किए गए दस्तावेज और उसके तहत पारित आदेश स्पष्ट रूप से कर्तव्य और हित के बीच गलत संबंध स्थापित करेगा।

6. सी.ओ. 1986 की संख्या 7553(डब्ल्यू) जिसका बाउनवान विधाननगर (साल्ट लेक) वेलफेयर एसोसिएशन और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य न्यायमूर्ति बी.पी. बनर्जी के समक्ष दिनांक 20.6.1986 को सूचीबद्ध किया गया था। उन्होंने निम्नलिखित आदेश पारित किया

“विरोध में शपथपत्र तारीख से दो सप्ताह के भीतर दाखिल किया जा”

को अब से चार सप्ताह बाद नियत दिया जाए। आदेश आने तक इस सीमा तक आदेश दिया जाएगा कि यदि कोई आवंटन हो तो मास्टर प्लान से किये गये विचलन आधार पर आवेदन के परिणाम का पालन किया जाएगा।

7. उसी दिन, यानी 20.6.1986 को, न्यायमूर्ति बनर्जी ने साल्ट लेक सिटी में भूमि के एक भूखंड के आवंटन के लिए मुख्यमंत्री के समक्ष एक आवेदन किया। यह स्पष्ट नहीं है कि आवेदन उनके द्वारा मामले का संज्ञान लेने से पहले किया या बाद में किया गया। यदि पहले आवेदन किया गया था तो उन्हें स्वयं को मामले से अलग कर लेना चाहिए था, और यदि मामला पहले से देखा जा रहा था तो उन्हें आवेदन नहीं करना चाहिए था। लेकिन, इसके बजाय, विद्वान न्यायाधीश ने मामले को अपने पास ही रखा, इसकी पैरवी की और मुख्यमंत्री के विवेकाधीन कोटे से उनके पक्ष में आवंटन आदेश होने तक और उसके बाद भी पश्चातवर्ती आदेश पारित किए।

8.6.1987 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया

मुख्य मामलों को अगले गुरुवार को दोपहर 3 बजे तक आदेशों की सूची में रखा तब तक निम्नानुसार एक अंतरिम आदेश होगा

इस न्यायालय की अनुमति के बिना साल्ट लेक सिटी क्षेत्र में किसी भी भूमि का आगे आवंटन नहीं किया जाएगा।

याचिकाकर्ताओं को उपरोक्त आवेदन की प्रति के साथ रिट अपील की एक प्रति और इस आदेश की एक सादा प्रति विद्वान महाधिवक्ता को तुरंत भेजने का निर्देश दिया जाता है।

इस आदेश की न्यायालय के अधिकारी द्वारा विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित एक सादा प्रति पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को दी जावें।

11.6.1987 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया

मुख्य याचिका को 17 जून, 1987 को दोपहर 2 बजे सुनवाई के लिए पेश करे। इस दौरान 8 जून, 1987 को पारित अंतरिम आदेश को बढ़ाकर इस हद आदेशित किया जाता है कि उक्त आदेश मुख्यमंत्री को अपने विवेकाधीन कोटे से साल्ट लेक सिटी क्षेत्र में भूखंड आवंटन करने से नहीं रोके।

इस आदेश की न्यायालय के अधिकारी द्वारा विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित एक सादा प्रति पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को दी जावें।

दिनांक 17.6.1987 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया।

आज न्यायालय में अतिरिक्त आधार लेने और अतिरिक्त साक्ष्य स्वीकार करने के लिए दिये गए आवेदन को रिकॉर्ड में रखा जाए। 16 जून,

1987 को सुधीर चंद्र डे द्वारा पुष्टि किए गए उक्त आवेदन के विरोध में यदि कोई शपथपत्र हो तो तिथि से तीन सप्ताह के भीतर दिया जाए और यदि कोई उत्तर हो तो एक सप्ताह के भीतर दिया जाए तथा आवेदन को 16 जुलाई 1987 को दोपहर 2 बजे सुनवाई के लिए नियत करें।

(जोर दिया गया)

8. दिनांक 16.7.1987 को आदेशानुसार कोई सुनवाई नहीं हुयी। आदेशिका में भी कोई आदेश पारित नहीं किया गया। दूसरी ओर जस्टिस बी.पी. बनर्जी ने पुनः मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। 16 जुलाई, 1987 का पत्र इस प्रकार में पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

माननीय न्यायाधिपति महोदय

भगवती प्रसाद बनर्जी

दिनांक 16 जुलाई 1987

सेवामें,

श्री ज्योति बासु

माननीय मुख्यमंत्री जी

पश्चिम बंगाल राज्य

राइटर्स बिल्डिंग, कलकत्ता

महोदय,

आपको लेख है कि मेरे पास पश्चिम बंगाल राज्य या अन्यत्र कोई ज़मीन-जायदाद नहीं है और मेरे पास आवास भी नहीं है। मैंने अभी तक किसी भूमि आवंटन के लिए आवेदन नहीं किया है। मुझे खुशी होगी यदि आप मुझे अपने अधीन आरक्षित कोटा से साल्ट लेक सिटी में लगभग 4 से 5 कट्ठा भूमि का एक उपयुक्त भूखंड आवंटित करें।

धन्यवाद,

भवदीय

भगवती प्रसाद मुखर्जी

प्रतिलिपि सूचनार्थ

श्री नारायण गुप्ता

महाधिवक्ता, पश्चिम बंगाल राज्य

9. यह उल्लेखनीय है कि अभिसाक्षी/शपथकर्ता ने अपने प्रथम जवाबी शपथपत्र में मुख्यमंत्री को प्रस्तुत अपने आवेदन दिनांक 16 जुलाई, 1987 का उल्लेख नहीं किया है। उन्होंने अपने पूरक शपथपत्र में यह स्पष्ट किया है कि अपने प्रथम शपथपत्र में 16.7.86 (यह दिनांक 16.7.87 है) के आवेदन के बारे में उल्लेख हेतु में लोप सद्भाविक त्रुटि है क्योंकि उनकी फाइल में आवेदन की प्रति नहीं थी। ऐसे व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का

न्यायाधीश है उसकी ओर से ऐसा तर्क अस्वीकार्य है। विद्वान न्यायाधीश को उनके द्वारा 20.6.86 को दायर की गई याचिका याद होगी, लेकिन 16 जुलाई, 1987 को नहीं। जो भी हो। दिनांक 16 जुलाई 1987 का पत्र, जो सरकार द्वारा फ़ाइल संख्या एसएल(एएल)/एसपी-1049/87 में भेजा गया, रिकॉर्ड पर उपलब्ध है, स्वीकार किया जाता है। यह पत्र का बहुत महत्वपूर्ण है इसके बाद 24.7.1987 को मुख्यमंत्री द्वारा न्यायमूर्ति बी.पी. बनर्जी के पक्ष में आवंटन का आदेश पारित किया गया।

10 हमारे आदेश दिनांक 13.11.2003 और पश्चातवर्ती आदेशों के अनुपालना में उच्च न्यायालय ने 1986 के सीओ नंबर 7553 (डब्ल्यू) से संबंधित वाद सूचियों सहित आवश्यक जानकारी प्रस्तुत की है। उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत की गयी वाद सूचियो और अभिलेख से पता चलता है कि मामला न्यायमूर्ति बी.पी. बनर्जी के समक्ष दिनांक 16.7.1987 के बाद 20.7.1987, 22.7.1987, 23.7.1987, 24.7.1987 27.7.1987, 28.7.1987, 29.7.1987, 30.7.1987, 11.8.1987, 21.8.1987, 24.8.1987, 25.8.1987, 26.8.1987 और 27.8.1987 सूचीबद्ध था। उच्च न्यायालय ने आगे स्पष्ट किया कि इन सभी तारीखों पर मामला कोर्ट नंबर 9 के समक्ष सूचीबद्ध था, जिसकी पीठासीन अधिकारी न्यायमूर्ति बी.पी. बनर्जी थे और इसे आंशिक-सुनवाई के रूप में रखा गया था। उच्च न्यायालय के अभिलेख

से यह भी पता चला कि 1998 में न्यायाधीश के सेवानिवृत्त होने तक मामले की आंशिक सुनवाई की गई थी।

11. महत्वपूर्ण बात यह है कि 24.7.1987 को मुख्यमंत्री साल्ट लेक सिटी में अपने विवेकाधीन कोटे से न्यायमूर्ति बी.पी. बनर्जी से के पक्ष में भूमि का एक भूखंड आवंटित करने का आदेश पारित किया। जिसमें न्यायमूर्ति बनर्जी का नाम क्रम संख्या 1 में दर्शाया गया और उसी दिन मामला जस्टिस बनर्जी के सामने भी सूचीबद्ध था। साल्ट लेक सिटी, कलकत्ता में 4 कोट्टा भूमि क्रमांक एफडी-429 के भूखंड का औपचारिक आवंटन 16.10.1987 को किया गया था और 1998 में उनकी सेवानिवृत्ति तक मामला न्यायमूर्ति बी.पी. बनर्जी के समक्ष लंबित रखा गया था।

12. जैसा कि ऊपर कहा गया है, परिस्थितियां स्वयं बोलती हैं। तथ्य स्पष्ट रूप से दर्शित करते हैं कि विद्वान न्यायाधीश ने व्यक्तिगत हित साधने के लिए अपने न्यायिक कार्य का दुरुपयोग किया है।

13. अब हम प्रतिवादी संख्या 24-जस्टिस बनर्जी द्वारा प्रस्तुत जवाब से को देखते हैं। जैसा कि पहले बताया गया है प्रतिवादी नं. 24 ने दो जवाब शपथपत्र क्रमशः प्रथम 16 जनवरी, 2004 को और पूरक शपथपत्र 16 अप्रैल, 2004 को प्रस्तुत किए। प्रतिवादी संख्या 24 का बचाव 16.1.2004 को प्रस्तुत जवाब शपथपत्र के पैराग्राफ 9 में अंकित है। विवाद

को उचित परिप्रेक्ष्य में समझने के लिए, जवाब शपथपत्र के पैराग्राफ 9 को विस्तार से उद्धृत किया गया है।

“यह प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक 8.6.87 और 11.6.87 के आदेशों और 14.10.87 को इस अभिसाक्षी/शपथकर्ता के पक्ष में किए गए आवंटन के बीच कोई संबंध नहीं था। यह मात्र एक दुर्घटना या एक संयोग था कि सरकार द्वारा आवंटन दिनांक 11.6.1987 के पश्चात किया गया था। अभिसाक्षी/शपथकर्ता द्वारा इस बाबत अपना अभ्यावेदन बहुत पहले ही दे दिया था, एक वर्ष पहले कानून मंत्रालय के माध्यम से केंद्र सरकार ने अभिसाक्षी/शपथकर्ता की आवासीय समस्या के संबंध में आवश्यक कदम उठाने के लिए मुख्यमंत्री से अनुरोध किया गया था। इस अभिसाक्षी/शपथकर्ता को इस बात की जानकारी नहीं थी कि जैसा कि आवेदक ने आरोप लगाया है कि भूखंड का आवंटन आदेश दिनांक 11.6.87 के बाद सर्वप्रथम किया गया था। यह उल्लेखनीय है कि लगभग उसी ही समय में बड़ी संख्या में आवंटन किए गए थे। दिनांक 11.6.87 से पहले और उसके बाद भूखंड के विशेष आवंटन के लिए विवेकाधीन कोटा के तहत सैकड़ों भूखंडों का आवंटन किया गया था। फिर भी, याचिकाकर्ता द्वारा जानबूझकर ज्ञात कारणों से केवल 11.6.87 के बाद किए गए आवंटन को चुनौती दी है, जबकि इसके तहत उसी कोटे और उसी प्रकार से 11.6.87 से पूर्व सैकड़ों भूखंडों का आवंटन किया गया था। राज्य सरकार ने पहले ही बता दिया था



कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश उन व्यक्तियों के मान्यता प्राप्त वर्ग थे जिन्हें 1981 से विवेकाधीन कोटा सहित साल्ट लेक के भूखंड आवंटित किए गए थे। इस अभिसाक्षी/शपथकर्ता ने आवंटन को स्वीकार कर लिया क्योंकि अन्य उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पहले ही आवंटित किया जा चुका था। इन सभी ने समान कारणों से भूखंडों के लिए आवेदन किया था और अपने पक्ष में भूखंडों का आवंटन स्वीकार कर लिया था। सभी न्यायाधीशों ने इस गवाह की तरह अपने घर बनाए हैं और वहां रह रहे हैं।

14. बचाव पक्ष की तर्क यह है कि दिनांक 8.6.1987, 11.6.1987 के आदेश और 14.10.1987 को प्रत्यर्थी संख्या 24 के पक्ष में किए गए आवंटन (वास्तव में यह 16.10.1987 है) के बीच कोई संबंध नहीं था। इसे संयोग नहीं कहा जा सकता। उच्च न्यायालय द्वारा भेजी गई वाद सूची से पता चला है कि मामला विद्वान न्यायाधीश के समक्ष 27.7.1987 तक लंबित था। उल्लेखनीय है कि उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित अपने पत्र दिनांक 16.7.1987 का उल्लेख नहीं किया। मुख्यमंत्री ने दिनांक 24.7.1987 को न्यायमूर्ति बी.पी. बनर्जी के पक्ष में एक भूखंड आवंटित करने का आदेश पारित किया, जिस तारीख को भी मामला उनके समक्ष लंबित था। उन्होंने इस तथ्य को स्पष्ट नहीं किया है। यह मामला उनके समक्ष 16.7.1987 को सूचीबद्ध किया गया था, परन्तु इस तिथि पर कोई

आदेश पारित नहीं किया गया, बल्कि उन्होंने भूमि के आवंटन के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और मुख्यमंत्री द्वारा 24.7.1987 को उनके पक्ष में आदेश पारित किया गया। इसे किसी भी तरह से इसे संयोग नहीं कहा जा सकता। न्यायिक आदेश पारित करने और आवंटन आदेश देने के बीच निस्संदेह एक गलत संबंध है।

15. दिनांक 16.4.2004 को पेश पूरक शपथपत्र में, प्रत्यर्थी संख्या 24 ने कथित किया कि रिट याचिका संख्या सीओ 7553(डब्ल्यू) 1986 में उनके द्वारा कभी भी आंशिक सुनवाई के रूप में नहीं रखी गयी। जवाब शपथपत्र पैराग्राफ 9.1 और 9.2 इस प्रकार से है।

“9.1 अभिसाक्षी/शपथकर्ता ने कभी भी रिट याचिका संख्या सी.ओ. 7553(डब्ल्यू) 1986 को आंशिक सुनवाई के रूप में नहीं रखा ताकि मामले को किसी अन्य न्यायालय द्वारा नहीं सुना जा सके। तारक सिंह बनाम ज्योति बसु के मामले में विद्वान न्यायाधीश द्वारा श्री तारक सिंह के अधिवक्ता की यह दलील कि अभिसाक्षी/शपथकर्ता ने मामले की आंशिक सुनवाई हेतु रखा गलत माना है। उक्त दलील तथ्यों के साथ-साथ मामले के अभिलेख के भी विपरीत है।

9.2 यह बताया गया है कि जब सी.ओ. क्रमांक 7553(डब्ल्यू) 1986 दिनांक 17.6.1987 को सुनवाई के लिए आया, तो मामला अतिरिक्त आधार और अतिरिक्त साक्ष्य के विविध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने के आधार पर

स्थगित कर दिया गया था। अभिसाक्षी/शपथकर्ता ने सामान्य तौर पर शपथपत्र पेश करने के निर्देश जारी किए और उक्त आवेदनों को 16.7.1987 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया। फिर भी, उक्त मामला उसी तारीख या उसके बाद सुनवाई के लिए नहीं आया”

(जोर दिया गया)

16. निस्संदेह, उपरोक्त दो पैराग्राफ में दिए गए कथन उच्च न्यायालय द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के विपरीत हैं। अभिसाक्षी/शपथकर्ता ने स्वीकार किया कि मामला 16.7.1987 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था। उनका यह कहना कि मामला उसी तारीख पर या उसके बाद सुनवाई के लिए नहीं आया, अभिसाक्षी/शपथकर्ता की गलत जानकारी में है। इसलिए, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया कि प्रत्यर्थी संख्या 24 द्वारा पेश झूठा शपथपत्र स्पष्ट रूप से आपराधिक अवमानना है। न्यायालय द्वारा पारित आदेश के प्रस्ताव को देखते हुये याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के इस तर्क नहीं माना जा सकता। हालाँकि, न्यायालय याचिकाकर्ता के विद्वान वकील के इस तथ्य से सहमत हैं कि पैराग्राफ 9.1 और 9.2 में दिए गए कथन उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के विपरीत हैं।

17. उपरोक्त परिस्थितियों में प्रतिवादी संख्या 24 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ए के गांगुली ने तर्क दिये कि मामला

1986 का सीओ संख्या 7553(डब्ल्यू) जो 20.6.1986 को प्रत्यर्था संख्या 24 के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था उसका सरकार/मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोटा के तहत भूमि के आवंटन के साथ कोई संबंध नहीं था। यह मामला मास्टर प्लान के उल्लंघन से संबंधित था और इसलिए विद्वान न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश और उनके पक्ष में किए गए आवंटन के बीच कोई गलत संबंध नहीं था।

18. न्यायालय श्री गांगुली की ओर से प्रस्तुत दलील से सहमत नहीं हैं, सर्वप्रथम, 1986 के सीओ नंबर 7553 (डब्ल्यू) में लंबित निषेधाज्ञा का आवेदन साल्ट लेक में भूखंडों के अवैध, कथित गुप्त आवंटन से संबंधित था। इन सभी कारणों से, विद्वान न्यायाधीश का आचरण तब और अधिक संदिग्ध हो जाता है जब उसी तारीख को उन्होंने साल्ट लेक सिटी में भूमि भूखंड के लिए आवेदन किया और दिनांक 8.6.1987 के एक आदेश द्वारा साल्ट लेक सिटी में किसी भी भूमि के आगे आवंटन पर रोक लगा दी। लेकिन पश्चातवर्ती आदेश दिनांक 11.6.1987 द्वारा मुख्यमंत्री को अपने विवेकाधीन कोटे से साल्ट लेक सिटी क्षेत्र में भूखंड का आवंटन करने की अनुमति दी गयी।

19. श्री गांगुली ने आगे तर्क दिया कि उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत किये गए किसी भी आदेश/कार्यवाही से यह संकेत नहीं मिलता है कि मामला 17.6.1987 को सुनवाई के लिए नियत था और दिनांक 17.6.1987

की आदेशिका में मामले को आंशिक रूप से सुनवाई में रखने के लिए कोई निर्देश नहीं दिया गया है। यह तर्क उच्च न्यायालय द्वारा भेजे गये अभिलेख अर्थात् वाद सूची के भी विपरीत है। मामले को सुनवाई हेतु 16.7.1987 को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया गया था, जो उनके द्वारा स्वीकृत है। हालांकि, उस दिन विद्वान न्यायाधीन ने ऐसे कारणों से जो वो बेहतर जानते हैं कोई ओदश पारित नहीं किया था। उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत वाद सूची से दर्शित है कि 20.7.1987 से 27.8.1987 तक, मामले की आंशिक सुनवाई की गई थी और मामले की पत्रावली प्रत्यर्थी संख्या 24 के 1998 में सेवानिवृत्ति तक रखी गयी।

20. श्री गांगुली द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि बड़ी संख्या में उच्च न्यायालय और सर्वाच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की को भी मुख्यमंत्री के विवेकाधीन कोटे के तहत साल्ट लेक सिटी में भूखंड आवंटित किए गये और प्रत्यर्थी संख्या 24 के साथ अलग व्यवहार करना अनुचित होगा। इस रिट याचिका के सुनवाई के समय, हमने विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता से अनुरोध किया कि वे हमें सूचित करें कि क्या किसी अन्य न्यायाधीश या न्यायाधीश ने अपने न्यायिक कर्तव्यों से समझौता कर मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोटे से आवंटन आदेश प्राप्त किया है, हम ऐसे आवंटन के विरुद्ध भी कार्यवाही करेंगे। फिर भी उन्हें इस संबंध में कोई निर्देश प्राप्त

नहीं हो सका। यह सामान्य बात है कि असमानों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जा सकता।

21. यह समझना होगा कि न्यायिक अनुशासन-एक स्वयं अनुशासन है, जो स्वयं जिम्मेदारी है न्यायिक अनुशासन व्यवस्था में ही अंतर्निहित तंत्र है। न्यायाधीशों के पद और उनके पास निहित अपार शक्तियों के कारण, कोई अन्य प्राधिकारी उन पर अनुशासन नहीं थोप सकता। और अन्य कारणों से सभी न्यायाधीश, उच्च आत्म अनुशासन का प्रयोग करते हैं। एक न्यायाधीश के चरित्र का परीक्षण उसके पास निहित शक्ति द्वारा किया जाता है। अब्राहम लिंकन ने एक बार कहा था, “लगभग सभी मनुष्य विपरीत परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं, लेकिन यदि आप किसी व्यक्ति के चरित्र का परीक्षण करना चाहते हैं तो उसे शक्ति दें। किसी भी अन्य प्रणाली की तरह न्याय वितरण प्रणाली भी सत्यनिष्ठा के अभाव में जीवन का हर क्षेत्र में विफल हो जाएगी और लड़खड़ा जाएगी।

22. राज्य के किसी भी अन्य अंग की तरह, न्यायपालिका भी मनुष्यों द्वारा संचालित होती है -लेकिन न्यायपालिका का कार्य राज्य के अन्य अंगों से स्पष्ट रूप से भिन्न है -इस अर्थ में इसका कार्य दैवीय है। आज न्यायपालिका पर जनता के विश्वास है। यह लोगों की विश्वासपात्र है। यह लोगों की आखिरी उम्मीद है, क्योंकि सभी दरवाजों पर दस्तक के विफल होने के बाद लोग अंतिम विकल्प के रूप में न्यायपालिका का

दरवाजा खटखटाते हैं। यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसकी पूजा देश का हर नागरिक करता है, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान का हो। उसकी मौजूद शक्ति के कारण, एक न्यायाधीश का बतौर न्यायाधीश दूसरों की तुलना में अधिक सख्त है। ईमानदारी न्यायिक अनुशासन की पहचान है। अब यह समय है कि न्यायपालिका को यह सुनिश्चित करने के लिए अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए कि न्याय का मंदिर अंदर से दरकने न पाए, अन्यथा न्याय वितरण प्रणाली में तबाही मच जाएगी, जिसके परिणामस्वरूप न्याय वितरण प्रणाली में जनता का विश्वास विफल हो जाएगा। हमें याद रखना चाहिए कि भीतरघात बाहर के तूफान से भी बड़ा खतरा पैदा करते हैं।

23. चूँकि वर्तमान विवाद में शामिल मुद्दा न्यायपालिका की गुणवत्ता पर दूरगामी प्रभाव डालेगा, इसलिए हम इसे अभिलेख पर रखने के लिए प्रेरित हैं क्योंकि न्याय प्रशासन की शुद्धता प्राप्ति हेतु एक अच्छा मार्गदर्शन है। जीवन में हर मनुष्य की अपनी महत्वाकांक्षा होती है। जो रखना पुण्य है। यह जीवन में कुछ हासिल करने की एक चाह है। एक न्यायाधीश की कुछ हासिल करने की महत्वाकांक्षा रखना गलत नहीं है। लेकिन उक्त महत्वाकांक्षा उसके दिव्य न्यायिक कर्तव्य के साथ समझौता करती है, तो इसे आगे न बढ़ाना ही बेहतर है। क्योंकि यदि कोई न्यायाधीश भौतिक रूप से कुछ हासिल करने के लिए अत्यधिक महत्वाकांक्षी है, तो वह कायर हो

जाता है। जब वह कायर हो जायेगा तो उसमें अपने दैवीय कर्तव्य और व्यक्तिगत हित के बीच समझौता करने की प्रवृत्ति आयेगी और वहां हित एवं कर्तव्य में द्वन्द्व रहेगा। इस प्रकरण में भी यही हुआ है कि विद्वान न्यायमूर्ति बी.पी बनर्जी, ने अपने व्यक्तिगत उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अपने न्यायिक कर्तव्य का दुरुपयोग किया। उन्होंने लोगों द्वारा उन पर जताए गए भरोसे को तोड़ दिया है।”

है। यदि विद्वान न्यायाधीश को किसी भी अन्य नागरिक की तरह सरलता से मुख्यमंत्री के कोटे से आवंटन मिलता तो यह मामला अलग हो सकता था।

24. उपरोक्तानुसार तथ्यों और परिस्थितियों के अनुक्रम में हमारा मानना है कि विद्वान न्यायाधीश का आचरण क्षमा योग्य नहीं है। हम जानते हैं कि जिस आदेश को हम पारित करने का प्रस्ताव कर रहे हैं, वह निस्संदेह दर्दनाक है, लेकिन हमें न्यायपालिका में जनता का विश्वास स्थापित करने के लिए एक दर्दनाक कर्तव्य निभाना होगा। यह एक ऐसा मामला है जहां निजी हित को सार्वजनिक हित के विरुद्ध माना गया क। अब कानून का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि ऐसे मामलों में पश्चात्तवर्ती हित प्रथम हित पर हावी होगा। परिणामस्वरूप, मुख्यमंत्री द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.7.1987 और औपचारिक आवंटन आदेश दिनांक 16.10.1987 को प्रत्यर्थी संख्या 24 न्यायाधीश बी.पी. बनर्जी के पक्ष में किया गये



साल्ट लेक सिटी में 4 कोट्टा भूखंड का आवंटन रद्द किया जाता है। भूखंड सरकार के पास निहित रहेगा।

25. इस याचिका की सुनवाई के दौरान हमने प्रत्यर्थी संख्या 24 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता से अनुरोध किया था कि वह हमें उक्त भूमि के भूखंड पर घर के निर्माण में प्रत्यर्थी संख्या 24 द्वारा किए गए व्यय के बारे में बताएं। श्री गांगुली ने व्यय विवरणी पेश किया। प्रस्तुत व्यय का विवरण इस प्रकार है:-

|  |                 |
|--|-----------------|
| दिनांक 16.11.1987 को भुगतान की गयी भूमि की कीमत  | रु. 41,006.10   |
| 1994 तक निर्माण की लागत  | रु. 7,65,228.61 |
| कुल  | रु. 8,06,234.71 |
| भवन का वार्षिक मूल्य तिमाही 3/92 से आगे (बिधाननगर नगर पालिका पूर्व में बिधाननगर अधिसूचित क्षेत्र प्राधिकरण द्वारा निर्धारित) | रु. 8,097.00    |
| नगरपालिका कर (त्रैमासिक)   | रु. 432.00      |

26. विचारणीय प्रश्न भूमि के भूखंड पर मकान की लागत के संबंध में है।

हम निम्नलिखित निर्देश देते हैं:-

(1) सरकार एक सरकारी मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति करे। निर्माण की लागत का आकलन करने के बाद, निर्माण के समय प्रचलित दर पर, (भूमि की लागत शामिल नहीं होगी), प्रत्यर्थी संख्या 24 को उक्त कीमत की पेश करें और सरकार भवन पर का कब्जा अपने पास ले। तब तक सरकार प्रत्यर्थी संख्या 24 को भवन खाली करने के लिए एक वर्ष का समय दे, यदि प्रत्यर्थी संख्या 24 और परिवार के सभी सदस्य और उसमें रहने वाले लोग आज से 8 सप्ताह के अन्दर न्यायालय में शपथ पत्र पेश करें कि वे वर्ष के अंत तक भवन खाली कर देंगे और सरकार को खाली और शांतिपूर्ण कब्जा देंगे।

(2) वैकल्पिक रूप से, यदि प्रत्यर्थी संख्या 24 को चाहता है कि उसे बंगले के लिए प्रचलित बाजार मूल्य प्राप्त होना चाहिए, तो वह सरकार को सूचित कर सकता है। इसके बाद सरकार, क्षेत्र में व्यापक रूप से प्रसारित होने वाले दो राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों और एक स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापन देकर सार्वजनिक नीलामी के लिए जमीन के साथ घर को भी रख सकती है और सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को घर बेच सकती है।

(3) मामले में, जैसा कि खंड (2) में है, दो अलग-अलग बोलियां एक घर के लिए और दूसरी जमीन के लिए होंगी। मकान के संबंध में मूल्य सुरक्षित रखा जाएगा जो वर्तमान दरों पर इस प्रकार के बंगले के बाजार मूल्य से कम नहीं होगा। ऐसा मूल्यांकन सरकारी मूल्यांकनकर्ता

द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए। मूल्य क्रेता को सौंपे गए खाली कब्जे पर आधारित होगा।

(4) नीलामी बिक्री में प्राप्त घर की कीमत न्यायमूर्ति बी.पी. बनर्जी को भुगतान की जाएगी और वे कीमत प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर क्रेता को खाली और शांतिपूर्ण कब्जा प्रदान करेंगे। यदि कब्जा नहीं सौंपा जाता है, तो सरकार बेदखली कर , क्रेता का कब्जा दिलवाना सुनिश्चित करेगी।

(5) उपरोक्त निर्देशों की प्रकिया इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से छह महीने के भीतर पूरी की जाएगी।

(6) पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य सचिव निर्धारित अवधि के भीतर अनुपालना रिपोर्ट भेजेंगे।

(7) हम स्पष्ट करते हैं कि प्रत्यर्थी संख्या 24 या उसके रिश्तेदारों को नीलामी बिक्री में बोली लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

27. परिणामतः प्रत्यर्थी संख्या 24 के विरुद्ध रिट याचिका संख्या 216/1999 को स्वीकार की जाती है और अन्य उत्तरदाताओं सीए क्रमांक 6707/1999 के विरुद्ध खारिज की जाती है। नियम का निर्वहन किया जाये।

28. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अन्य प्रत्यर्थियों के खिलाफ रिट याचिका खारिज करने को मुख्यमंत्री द्वारा अपने विवेकाधीन कोटे से

भूमि आवंटन के संबंध में सरकार के नीतिगत निर्णय की मंजूरी के रूप में गलत नहीं समझा जावें।

पक्षकारान् अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे ।

अपील खारिज की गयी

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी **शिखा सिंघल** (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।